M.A. IVth SAM. Political Science

Scanned with CamScanner

Unit – IV

Human Right

मानव अधिकार

• **मानव अधिकार =>**

"मानवाधिकार ऐसे अधिकार है, जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते है, चाहे इसके लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था की गई हो या नहीं, की गई हो।"

Imp राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) की ~~धारा 2 (d)~~ धारा - 2 (d) के अनुसार मानवाधिकारों का अर्थ "व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता तथा गरिमा से सम्बन्धित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभुत है या अन्तर्राष्ट्रीय करारो में वर्णित है।"

संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार के सिद्धान्त

1945 मे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के द्वारा मानव अधिकारो की रक्षा के लिए पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आधार प्रस्तुत किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, यथार्थ में ऐसा पहला बहुपक्षीय समझौता था, जिसमे मनुष्य की मूल स्वतन्त्रताओ एवं अधिकारो की सुरक्षा पर बल दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार =>

(1) चार्टर की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारो, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुष एवं स्त्रियो के समान अधिकारो मे विश्वास प्रकट किया गया है।

(2) चार्टर में अन्य स्थानो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 तथा अनुच्छेद 62 मे मनुष्य के मूल अधिकारो के प्रावधान है। Imp

Scanned with CamScanner

यहा कुछ बाते ध्यान में रखने योग्य है- ~~पहला~~ => चार्टर के उप
प्रावधानो में कही भी मूल अधिकारो की व्याख्या नही की गई।
=> इन अधिकारो के सन्दर्भ में सयुंक्त राष्ट्र संघ का काम केवल
अधिकारो को प्रोत्साहन मात्र बताया गया है।
इस चार्टर की इन्ही आपत्तियो की पृष्ठभूमि में मानव अधिकारो
के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग को मानव अधिकार सम्बन्धी सामा.
सिद्धान्तो की घोषणा और मानव अधिकार सन्धि पत्र के दस्तावेज
तैयार करने का काम सौंपा गया है।

मानव अधिकारो की विश्वव्यापी ~~की~~ घोषणा

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारो के मूलभूत सिद्धान्तो का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा।

• लगभग 3 वर्षो के प्रयत्न के बाद 'मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा का मसविदा तैयार किए जिसे कुछ संशोधनो के साथ 10 दिसम्बर, 1948 को सर्वभौमिक घोषणा का ~~मसविदा तैयार~~ किया सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया

1948 को की गई मानवाधिकारो की घोषणा के अनुसार पांच प्रकार के मानवाधिकार है

(1) नागरिक अधिकार => समानता, स्वतन्त्रता, जीवन, दास प्रथा की समाप्ति, न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया

(2) राजनीतिक अधिकार => राजनीतिक प्रक्रिया मे भाग लेने व राजनीतिक पद प्राप्त करने का, राष्ट्रीयता का तथा शरण पाने का अधिकार

(3) आर्थिक अधिकार => सम्पत्ति, विपरीत परिस्थितियो में सामाजिक सुरक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त साधन पाने का अधिकार शामिल

Scanned with CamScanner

भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य 2011 मे बना

2011-14, 2014-17 नया 1 जनवरी 2019 से सदस्य

बैठक अक्टूबर ~~जेनेवा~~ मुख्यालय - जिनेवा - स्विट्जरलैण्ड

4) सामाजिक अधिकार => विवाह करने, परिवार स्थापित करने परिवार का संरक्षण व शिक्षा का अधिकार शामिल है,

5) सांस्कृतिक अधिकार => इसमे समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार, सांस्कृतिक कृतियो के संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है,

घोषणा पत्र का महत्व =>

यद्यपि यह सही है कि इस घोषणा पत्र के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तथापि इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घोषणा ने समूचे संसार में मानव अधिकारो के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण की रचना की है।

इस (घोषणा) पत्र का महत्व इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा मे उपनिवेशवाद तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित करके उसकी परिधि को व्यापक बना दिया है,

1960 मे महासभा ने औपनिवेशिक देशो और जनता को स्वाधिनता प्रदान करने की घोषणा 'स्वीकृत की थी।

मानवाधिकार परिषद =>

15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा स्थापित की गई, परिषद 47 राज्य प्रतिनिधियो से बना है मानवाधिकारो ~~[illegible]~~ के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र आयोग को मानवाधिकार परिषद मे प्रतिस्थापित किया गया।

मानवाधिकार परिषद की सबसे नवीन विशेषता सार्वभौमिक अवधिक समीक्षा है, इस परिषद मे हर चार साल मे एक बार सभी 192 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशो के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा शामिल है, यह प्रत्येक राज्य ~~के~~ को अपनी देश ~~[illegible]~~ मे मानवाधिकारो की स्थिति मे सुधार लाने और अपने

अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उठाए गये उपायों को पेश करने और चुनौतियों का सामना प्रदान करती है, हर देश के लिए उपचार की सार्वभौमिकता और समानता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तैयार की गई है।

2018 में मानवाधिकार – प्रमुख मुद्दे

1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ष
2. अमेरिका का मानवाधिकार परिषद से पीछे हटना
3. महिलाओं के खिलाफ हिंसा = Me too आन्दोलन
4. फेसबुक की रैंकिंग = आलोचना
5. रोहिंग्या संकट
6. शिनजियांग में तुर्क मुसलमान के खिलाफ कार्यवाई
7. सऊदी अरब → पत्रकार जमाल खगोशी की हत्या की गई। देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई।
8. नौरू से बच्चे → द्वीप में बन्द बच्चों को आस्ट्रेलिया में शरण
9. एल जी बी टी आई (LGBTI) भेदभाव – विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ धार्मिक स्कूलों में भेदभाव

मानवाधिकारों के कार्यान्वयन की दिशा में विश्व में अग्रलिखित प्रयत्न किये गये है –

(अ) मानव अधिकारों की प्रसंविदाएँ →

मानव अधिकारों को राष्ट्रीय सरकारों से पालन करवाने के उद्देश्य से महासभा ने मानव अधिकार आयोग को दो प्रसंविदाएं तैयार करने को कहा – 23 मार्च 1976 को प्रथम, तथा 3 जनवरी 1976 को दूसरी प्रसंविदा लागू हो गई।

(1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारो की प्रसंविदा (प्रतिज्ञापत्र) (घोषणा)

=) इस मसौदे तथा कार्यान्वयन के सम्बन्धित प्रमुख बाते ->

1) इसका सम्बन्ध घूमने - फिरने की स्वतन्त्रता, कानून के समक्ष समानता निर्दोषिता की धारणा, विवेक व धर्म की स्वतन्त्रता, मत अभिव्यक्त की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण ढंग से संगठित होने की स्वतन्त्रता, सार्वजनिक निर्वाचनो मे भाग लेने तथा अल्पसंख्यको के अधिकारो से है।

2) यह प्रसंविदा स्वेच्छाचारिता से जीवन से वंचित करने उत्पीड़न तथा निर्दय व्यवहार, दासता तथा बेगार, मनमानी गिरफ्तारी तथा नजरबंदी और एकान्त में मनमाना व्यवधान, युद्ध-प्रचार तथा भेदभाव या हिंसा को प्रोत्साहन देने वाली जातिगत या धर्मगत घृणा का निषेध करती है।

3) इस प्रसंविदा के अन्तर्गत एक 18 सदस्यीय मानव अधिकार समिति का गठन किया गया जो इससे सम्बन्धित देशो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करती है तथा यह देखती है कि सम्बन्धित देश मे प्रसंविदा के प्रावधानो को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये है।

4) इसमे दो प्रोटोकाल है प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकाल (1966) में व्यक्ति को अपील दायर करने का अधिकार देने सम्बन्धी प्रक्रियाओ की व्यवस्था है। दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकाल (1989) का उद्देश्य मृत्यु दण्ड की व्यवस्था समाप्त करना है।

(2) आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो से सम्बन्धी प्रसंविदा =>

इस प्रसंविदा द्वारा जिन मानवाधिकारो को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया है, वे तीन प्रकार के है -

1) न्यायपूर्ण और उचित परिस्थितियो मे काम का अधिकार
2) सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर तथा शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरो का अधिकार,
3) शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभो का आनन्द लेने का अधिकार

(ब) मानव अधिकारो पर विश्व सम्मेलन

=> मानवाधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा के २० वर्ष बाद वर्ष 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया
=> 1968 मे तेहरान मे एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया
=> इसके बाद 25 जून, 1993 को आस्ट्रिया की राजधानी वियना में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन किया गया इसमे 170 से अधिक देशो ने भाग लिया। वियना सम्मेलन की समापन घोषणा मे संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपील की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारो को बढ़ावा देने के लिए विश्वव्यापी स्तर पर "मानवाधिकार दशक" की घोषणा की जाये, मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद बनाया जाये ताकि घोषणाओ मे तय किये गये मानवाधिकार कार्यक्रमो को लागू करने वाले देशो पर निगरानी रखी जा सके।

(स) मानवाधिकार से सम्बन्धित अन्य कन्वेंशन

=> नरसंहार की रोकथाम तथा दण्ड के बारे मे कन्वेंशन तथा घोषणाए (1948) इस पर 132 देशो ने हस्ताक्षर किए

Scanned with CamScanner

=> शरणार्थियो की स्थिति के बारे में कन्वेशंन (1951) इसमे शरणार्थियो के अधिकारो को परिभाषित किया गया। साथ ही उनको ऐसे देशो में न लौटाये जाने का उल्लेख है, जहाँ खतरा और जोखिम के कारण वे लौटना नही चाहते। शरणार्थियो की स्थिति के बारे मे प्रोटोकाल (1967) में इस कनवेशंन को विश्व में समान रूप से लागू करने की पक्की व्यवस्था कर दी गई है। इस पर 136 देशो ने हस्ताक्षर किए है।

=> हर प्रकार का रंगभेद (नस्लभेद) समाप्त करने के बारे कन्वेशंन (1966)

=> महिलाओ के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी कन्वेशन (1979)

=> उत्पीड़न और अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड रोकने सम्बन्धी कनवेशंन (1984)

=> बाल अधिकारो के बारे में कन्वेशंन (1989) => बाल अधिकार समिति इसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई।

(द) मानवाधिकार रक्षा मे सक्रिय सरकारी और गैर सरकारी संगठन

1) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग => मानवाधिकार की रक्षा में ~~सक्रिय~~ सक्रिय प्रमुख सरकारी संगठन है - 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग। यह सदस्य देशो में मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतो पर विचार करता है तथा उन पर फैसला करता है।

2) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त => 20 दिसम्बर 1993 को गठित हुआ। उच्चायुक्त का कार्य संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के मानवाधिकार कार्यकलाप मे समन्वय स्थापित करता है।

Scanned with CamScanner

3) मानवाधिकार केन्द्र → इस संस्था का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों को मानवाधिकार के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के क्रम मे सहायता करने और मानवाधिकारो से सम्बन्धित सूचनाओ को प्रकाशित व प्रसारित करना है।

4) विशेष प्रतिवेदक और कार्यदल → मानवाधिकारो से जुड़े विशेष प्रतिवेदक और कार्यदल मानवाधिकार संरक्षण, उल्लंघन की छानबीन और व्यक्तिगत मामले मे हस्तक्षेप करके अग्रणी भूमिका निभाते है।

5) अन्य संगठन -

1942 मे स्थापित इन्टरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स, 1952 का मास्को ह्यूमन राइट्स कमेटी, 1961 में दि कमीशन ऑफ दि चर्चेज ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स ऑफ दि वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज, दे पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एण्ड पीस तथा द इन्टरनेशनल कमेटी ऑफ दि रेडक्रास के नाम से उल्लेखनीय है। ये सभी संगठन गैर सरकारी है। तथा मानवाधिकार रक्षा के बारे ठोस कदम उठाए जाने की इनसे अपेक्षा की जाती है।

मानवाधिकार के क्रियान्वयन में बाधाएँ ⇒

1) अधिकारो की व्याख्या और लागू करने का अधिकार राज्यो पर

→ मानव अधिकारो की व्याख्या और लागू करने का अधिकार अलग - अलग मान्यताएँ और पृथक - पृथक दृष्टिकोण है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनकी अधिकार सम्बन्धी व्याख्यायें भी एक दूसरे से भिन्न हो, इससे स्पष्ट है कि कानूनी या संवैधानिक रूप से एक सम्प्रभु राज्य को मानव अधिकारो को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन नैतिक रूप अन्तर्राष्ट्रीय

हित तथा मानवीय आधार पर इन्हें इनका पालन करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र पर दबाव डाला जा सकता है,

2) संयुक्त राज्य अमेरिका का अवसरवादी दृष्टिकोण => संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल स्वतन्त्रताओं और अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए अपने किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का पालन नहीं किया।
सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एक ही महाशक्ति रह गयी और संयुक्त राष्ट्र संघ पर अब उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। इसी सन्दर्भ में अमेरिका ने अपनी मानव अधिकार की विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हित के साथ जोड़कर उसकी अपनी व्याख्याएँ करते हुए, दूसरे देशों को धमकाना प्रारम्भ कर दिया, ताकि वे स्वतन्त्र विदेश नीति का परित्याग कर उसके हितों के साधक बन सकें। उसका कहना था कि अमरीकी सहायता उन्ही देशों को ही जाएगी जो मानवाधिकार के नियमों का पालन करेंगे।
चूंकि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ पर वर्चस्व है। इस प्रकार कौनसी घटना मानवाधिकार का उल्लंघन है और कौनसी नहीं, इसका निर्धारण अमेरिका ही करेगा और अमेरिका का राष्ट्रीय हित यदि अमुक देश की घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन बताकर, उस पर दबाव डालकर सधता है, तो वह उस देश के विरुद्ध मानवाधिकार का डंका पिटने लगता है और जहाँ उसे लगता कि ऐसा करने से उसके राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचती है, तो वह नजरअंदाज कर जाता है।
मानवाधिकार की नीति को अमेरिका ने अपनी कूटनीति का अंग बनाकर उसकी गरिमा को नष्ट कर दिया है।

3) विश्व के अधिसंख्य देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन → वर्तमान मे मानवाधिकार आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट

Scanned with CamScanner

प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता पा रहा है. वह सही बात कहने का साहस ही नहीं जुटा पाता है। दूसरे, विश्व भर मे 100 से भी अधिक देश ऐसे है, जहा की सरकारे किसी न किसी रूप में मानवाधिकारो का हनन कर रही है।
एमेनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अधिकांश देशो में मानवाधिकारो का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अनुसार मानवाधिकारो की दुहाई देने वाले दुनिया के लगभग सभी शासक गिरोह न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धियो पर वरन हर असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में एक से बढ़कर एक है।

भारत और मानवाधिकार

=) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग => भारत मे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-3 मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। भारत में मानवाधिकारो के संरक्षण एवं समृद्धि के लिए अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

=) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तिया व कार्य =

1) किसी न्यायालय में लम्बित मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी मामले में सम्बद्ध न्यायालय की अनुमति के आधार पर हस्तक्षेप।
2) किसी राज्य सरकार को सूचित कर सम्बद्ध राज्य में कारागारो अथवा बंदीगृहो का दौरा कर विद्यमान स्थिति की जाँच तथा सम्बन्धित सुझाव।
3) संविधान तथा किसी प्रचलित विधि के तहत मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी प्रावधानो का पुनरीक्षण तथा उनके प्रभावी

Scanned with CamScanner

क्रियान्वयन के लिए सुझाव।

4) मानवाधिकार से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य दस्तावेजों का अध्ययन कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव

5) मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन

6) मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा उच्च संस्थाओं का प्रोत्साहन।

राज्य मानवाधिकार आयोग =>

भारत में मानवाधिकार संरक्षण कानून की धारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग का गठन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भारत में मानवाधिकार न्यायालय =>

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, 1993 की धारा 30 के अनुसार मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायाधीश की सलाह से प्रत्येक जनपद सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकती है।

Scanned with CamScanner